

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

संचिका संख्या-17/विविध 01-17/2026 - 2021(17) पटना, दिनांक- 14/02/2026

राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालयों से पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण (सत्र-2022-2025) छात्र/चिकित्सकों को कॉलम-06 में अंकित संस्थानों से सीनियर रेजिडेन्सी /ट्यूटरशिप करने हेतु विभागीय आदेश संख्या-1092(17) दिनांक-04.10.2025 में निहित शर्तों के अधीन अनापत्ति प्रमाण-पत्र इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि चयन नहीं होने अथवा चयनोपरान्त टेन्चोर अवधि पूर्ण करने के तत्काल बाद अनिवार्य बॉण्ड सेवा पूर्ण करेंगे :-

क्र० सं०	नाम एवं विषय	जन्म तिथि	पी०जी०/डिप्लोमा उत्तीर्ण संस्थान का नाम	पदस्थापित चिकित्सा संस्थान का नाम	सीनियर रेजिडेन्सी/ट्यूटरशिप करने संबंधी संस्थान का नाम
1	2	3	4	5	6
01	RAJINDERJIT KAUR GHUMAN MD(DERMATOLOGY, VENEREOLOGY AND LEPROSY)	12-07-1995	NALANDA MEDICAL COLLEGE, PATNA	-----	AIIMS, Kalyani
02	SINHA APARNA SANJAY KUMAR MS(OBSTETRICS & GYNAECOLOGY)	05-01-1997	A.N. MAGADH MEDICAL COLLEGE, GAYA	CHC, Barachatti, Gaya Ji	AIIMS, Deoghar
03	PANKAJ KUMAR JHA MD(PATHOLOGY)	21-10-1995	PATNA MEDICAL COLLEGE, PATNA	-----	IGIMS, Patna
04	PRAGYA KUMARI MD(PATHOLOGY)	09-01-1990	PATNA MEDICAL COLLEGE, PATNA	-----	IGIMS, Patna
05	SAURAV SINHA MS(ORTHOPEDECS)	10-08-1995	PATNA MEDICAL COLLEGE, PATNA	-----	AIIMS, Kalyani एवं AIIMS, Deoghar

2. बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सक विभागीय आदेश सं०-178(17), दिनांक-07.02.2026 के आलोक में उच्चतर अध्ययनोंपरान्त/टेन्चोर अवधि पूर्ण करने के उपरान्त स्वास्थ्य विभाग (मुख्यालय) में योगदान करेंगे।

3. संबंधित चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल के प्राचार्य/अधीक्षक विभागीय आदेश सं०-105(17), दिनांक-22.01.2026 के आलोक में संबंधित बंध पत्र से आच्छादित चिकित्सकों/छात्रों से आवश्यक शपथ-पत्र प्राप्त कर आवश्यक कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे।

4. उक्त में सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(रेणु कुमारी)
विशेष कार्य पदाधिकारी।

ज्ञापांक :-17/ विविध 01-17/2026 - 202(17)

पटना, दिनांक :- 14 / 02 / 2026

- प्रतिलिपि:- महालेखाकार (ले० एवं ह०) का कार्यालय, बिहार, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित असैनिक शल्य चिकित्सक सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, बिहार तथा सभी संबंधित चिकित्सा संस्थान के निदेशक/अधीक्षक/उपाधीक्षक/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- संबंधित बंध पत्र से आच्छादित छात्र को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/विशेष सचिव, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 03 एवं 09 स्वास्थ्य विभाग को सूचनार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि :- सभी प्राचार्य/अधीक्षक, राज्य के राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।
- प्रतिलिपि:- आई० टी० मैनेजर/प्रोग्रामर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को वेबसाईट पर प्रकाशन हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।


विशेष कार्य पदाधिकारी।